मुख्यमंत्री ने किया बीकानेर-जोधपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद

अंतिम छोर के व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत के कारण आज पार्टी विश्व की सबसे बडी पार्टी है। भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का समर्पण भाव से कार्य करते हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्रीय और राज्य बजट में घोषित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का आव्हान किया। शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीकानेर-जोधपुर संभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य बजट 2026-27 दस मजबूत स्तंभों पर आधारित है, जिनमें अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने वीबी जी राम जी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अब गांवों में स्थायी कार्य हो सकेंगे तथा ग्रामीणों का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून के प्रावधानों को लेकर झूठ की राजनीति की जा रही है और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इस वर्ष के राज्य बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की गई है। शर्मा ने कहा कि अब तक 1 लाख से अधिक को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है। वहीं, निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। संवाद के दौरान बजट और सरकार की जनकल्याणकारी योजनओं को लेकर कार्यकर्ताओं से जिलेवार फीडबैक लिया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, दामोदरदास अग्रवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बीकानेर-जोधपुर संभाग के प्रभारी, सहप्रभारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम हाऊस पर बीकानेर-जोधपुर संभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया।

- 10 स्तंभों पर आधारित बजट में समाज के हर वर्ग को सौगातें मिली : मुख्यमंत्री
- 'वीबी जी राम जी के तहत राज्य बजट में 4 हजार करोड़ का प्रावधान, ग्रामीण होंगे सशक्त'

डोटासरा के 'हमशक्ल' नरेश पहुंचे विधानसभा

जयपुर (विसं)। इन दिनों सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के 'हमशक्ल' की चर्चा जोरों पर है। सोमवार को यह हमशक्ल विधानसभा पहुंचा, जहां खुद डोटासरा ने उससे मुलाकात की, लड्डू खिलाए और मजाकिया अंदाज में उसे अपना "धर्म का भाई" घोषित कर दिया।

राजनीतिक हलकों में इस हल्के-फुल्के पल ने सभी का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर तस्वीरें व वीडियो तेजी से वायरल हो गए। डोटासरा के हमशक्ल का नाम नरेश कुमार सिंधी है, जो मूल रूप से लाडनूं के निवासी हैं। नरेश मेडिकल लाइन में कार्यरत हैं और साथ ही कैटरिंग का काम भी करते हैं। हाल ही में वह एक शादी समारोह में कैटरिंग के सिलसिले में गए थे, जहां किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उनकी शक्ल की तुलना डोटासरा से करनी शुरू कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद नरेश कुमार के पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। मामला इतना चर्चित हुआ कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की भी इस पर नजर पड़ी। इसके बाद पार्टी की ओर से नरेश से संपर्क किया गया और उन्हें जयपुर बुलाया गया। जयपुर पहुंचने पर नरेश कुमार सिंधी को डोटासरा अपने साथ विधानसभा लेकर गए। विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने दोनों की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। डोटासरा ने नरेश को लड्डू खिलाते हुए कहा, आज से ये मेरा धर्म का भाई है और अब हमारा रिश्ता लंबा चलेगा। हंसी-मजाक के अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में वह अपने 'धर्म के भाई' का सहयोग भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें चुनाव भी लड़वा सकते हैं। गंभीर राजनीतिक माहौल के बीच यह दिलचस्प घटनाक्रम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया।

कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग, कम संख्या पर हंगामा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में बिल पेश किए जाने के दौरान भाजपा विधायकों की कम मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और डिवीजन (वोटिंग) की मांग उठाई। लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जहां दो विधेयक पेश किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जब जन विश्वास संशोधन बिल सदन में रख रहे थे, उसी दौरान स्पीकर ने वॉइस वोट से बिल को टेबल करने की अनुमति दी। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में बीजेपी विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और विधेयक पर विधिवत वोटिंग कराई जानी चाहिए।

- भाजपा विधायक दौड़कर सदन के भीतर पहुंचे

उपनेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा कि कम उपस्थिति के बीच वॉइस वोट कराना उचित नहीं है, इसलिए डिवीजन की प्रक्रिया अपनाई जाए। इस मांग को लेकर कुछ देर तक सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच कई बीजेपी विधायक दौड़ते हुए सदन में पहुंचे। हालांकि स्पीकर पहले ही बिल को सदन में रखने की मंजूरी दे चुके थे।

स्थिति सामान्य होने पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में आपसी सहयोग की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की बैठक में व्यस्त थे, इसलिए बीएसी की बैठक का समय 1 बजे से बढ़ाकर 3 बजे किया गया था। इसके बावजूद विधायकों के देर से आने को मुद्दा बनाना उचित नहीं है।

सीकर के डॉक्टर से 2 करोड़ मांगे, डिप्रेशन में जान गई : डोटासरा

जयपुर (कासं)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को सदन में बजट बहस के दौरान कहा कि, सीकर में एक आईएएस ने स्थानीय डॉक्टर से दो करोड़ मांगे। इससे 45 साल का डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस डॉक्टर के छोटे-छोटे बच्चे हैं। प्रदेश में इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है।

डोटासरा ने सरकार के वित्तीय हालात पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक नहीं खुलवा पाईं। वित्त मंत्री को तो बजट ही सुबह 9:30 बजे मिला। डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन सीज है।

जरूरत के 20 हजार करोड के बजाए 2000 करोड भी जुटाए नहीं जा रहे, क्या दूसरे कामों के रोक दें टैंडर : हाईकोर्ट

प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों के लिए 20 हजार करोड रुपए की जरूरत होने के बावजूद बजट में नाममात्र का प्रावधान करने पर अदालत ने नाराजगी जताई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों के लिए 20 हजार करोड रुपए की जरूरत होने के बावजूद बजट में नाममात्र का प्रावधान करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अन्य कामों के टैंडर जारी कर रही है, लेकिन स्कूलों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर अगले एक साल के लिए अन्य कामों का टेंडर जारी करने पर रोक लगा दें।

- अदालत ने कहा कि हम एक कमेटी गठन पर विचार करेंगे, जो काम को मॉनिटर करेगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 मार्च को तय की है।

अदालत ने कहा कि हम एक कमेटी गठन पर विचार करेंगे, जो काम को मॉनिटर करेगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 5 मार्च को तय की है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड में हुए स्कूल हादसे के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि बजट में स्कूल की मरम्मत के लिए करीब 550 करोड रुपए और नए भवनों के लिए करीब 450 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 200 करोड का बजट स्कूलों में लैब के लिए दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि पूर्व की सुनवाई में स्कूलों के लिए बीस हजार करोड रुपए की जरूरत बताई गई थी। बजट की यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अदालत ने कहा कि यह देखें कि स्कूलों के लिए डोनेशन, भामाशाह योजना, एमपी-एमएलए फंड का इसके लिए किस तरह उपयोग हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों में 600 करोड रुपए दान के आ सकते हैं तो शिक्षा का दान भी बडा दान है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई पांच मार्च को तय की है।

स्कूलों में गीता पढाई जाए : भदेल

जयपुर। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के स्कूलों में भी गीता पढ़ाए जाने का सुझाव दिया। भदेल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर स्कूलों में गीता का पठन पाठन करवाएं। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह कर्म करने की प्रेरणा देता है। भदेल ने पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर सीएमश्री स्कूल का भी सुझाव देते हुए कहा कि हर विधानसभा में एक आदर्श स्कूल बनाएं। इस स्कूल को प्रोफेशनल पाठ्यक्रम से जोड़ें और दक्ष छात्रों से इंटर्नशिप करवाएं।

भिवाड़ी में आगजनी के बाद रीको ने भूखण्ड आवंटी को थमाया नोटिस

जयपुर। रीको औद्योगिक क्षेत्र आईआईडी खुशखेड़ा के भूखण्ड संख्या जी 1-118 (बी) में सोमवार को ब्लास्ट के साथ आगजनी की घटना के मामले में रीको प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी अखिल अग्रवाल ने बताया कि भूखंड मालिक राजेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस प्लॉट का आवंटन 12 सितंबर 2005 को मैसर्स राजेन्द्र कुमार, को रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाने के लिए किया था। लीज डीड का निष्पादन 14 मई 2007 को किया गया था। अग्निकांड के पश्चात् की गई प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि मौके पर आवंटी द्वारा अनुमत गतिविधि के अतिरिक्त अन्य गतिविधि संचालित की जा रही थी, जिसकी सूचना रीको कार्यालय को नहीं दी गई थी। अत: रीको भू- निपटान नियम, 1979 के नियम 24(1)-(ए) एवं (बी) के अंतर्गत 45 दिवस का कारण बताओ नोटिस इस फर्म को जारी कर दिया गया है। नियमानुसार आवंटन पत्र एवं लीज डीड की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में इकाई प्रभारी द्वारा प्लॉट निरस्तीकरण की कार्यवाही का प्रावधान है।

- रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी अखिल अग्रवाल का कहना है कि यह प्लॉट मैसर्स राजेन्द्र कुमार को रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाने के लिए किया था, परंतु वहां अन्य गतिविधियां भी संचालित थी।

अग्रवाल ने बताया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या 14 के अनुसार आवंटी को आवंटित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग संचालित करने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त मानते हुए जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रकरण की विस्तृत जांच चल रही है तथा प्रशासन द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सोमवार को आगजनी की सूचना मिलते ही रीको खुशखेड़ा, दमकल चौपानकी, होन्डा, सीजवर्क, नगर परिषद भिवाड़ी एवं नगर पालिका तिजारा की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं तथा आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कुछ लोगों की मृत्यु तथा गंभीर घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को उपचार हेतु दिल्ली रेफर किया गया है। मौके पर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खुशखेड़ा (भिवाड़ी) औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड पर शोक जताया है। उन्होंने रीको के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए उद्योग मंत्री ने निर्देश दिए है कि प्रदेश में संचालित सभी औद्योगिक ईकाईयों में खतरनाक, प्रदूषणकारी और अत्यधिक ज्वलनशील गतिविधियों की सघन निगरानी की जाए। साथ ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संचालित गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। सभी जगहों पर नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनर्रावृत्ति नहीं हो। नियमों के उल्लंघन पर आवंटन रद्द जैसी कार्रवाई की जाए।

फसल खराबा 50-70 प्रतिशत होने के बावजूद मुआवजा 'जीरो', एस.ओ.जी. से जांच कराएंगे : किरोड़ीलाल मीणा

कृषि मंत्री ने सदन में कहा "कई जिलों में बीमा कंपनियों और बैंकों के फर्जीवाड़े उजागर हुए हैं।"

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सामने आई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा करते हुए कहा कि कई जिलों में बीमा कंपनियों और बैंकों के फर्जीवाड़े उजागर हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच एसओजी से करवाई जाएगी। मंत्री किरोड़ीलाल ने बताया कि सांचौर, जालौर, चूरू, नागौर, बीकानेर और शेरगढ़ क्षेत्रों में भी फसल खराबा कम दर्शाने के मामले सामने आए हैं। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से किसानों को 122 करोड़ रुपये दिलवाने का प्रयास किया जाएगा कृषि मंत्री ने दो टूक कहा कि किसानों के हक का पैसा किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देंगे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- मंत्री ने कहा कि "राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से किसानों को 122 करोड़ रुपये दिलवाने का प्रयास किया जाएगा किसानों के हक का पैसा किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।"

कृषि मंत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के करणपुर में निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने इंटीमेशन फार्म पर किसान, कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर खुद ही कर दिए। उन्होंने बताया कि करीब 1.70 लाख फार्म की जांच में 32 हजार ऐसे पाए गए, जिनमें फसल खराबा 'शून्य' दर्शाया गया, जबकि वास्तविक नुकसान 50 से 70 प्रतिशत तक था। इससे किसानों के करीब 128 करोड़ रुपये प्रभावित हुए। रावला में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रथम दृष्टया क्षेमा इन्श्योरेन्स कम्पनी को दोषी पाया गया है और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस कंपनी को आगे टैंडर न देने का आग्रह किया गया है। डॉ. मीणा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सालासर में भारतीय स्टेट बंक की शाखा में किसानों के नाम पर 71 फर्जी खाते खोले गए। खातों में नाम और रिश्तेदारों के नाम मिलते-जुलते थे, लेकिन दस्तावेज अधूरे थे। इन खातों के जरिए प्रीमियम काटने की प्रक्रिया चल रही थी। इस गड़बड़ी से केंद्र और राज्य सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपये का गलत भुगतान करना पड़ सकता था। इस मामले में एआईसी कम्पनी का नाम सामने आया है और एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने रबी और खरीफ फसलों के लिए अब तक 6328 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम भुगतान किया है, जिसमें 188 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय से लंबित थे।प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल पर मंत्री किरोड़ीलाल ने बताया कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2020 से रबी 2024-25 तक 659 किसानों के 42.62 लाख रुपये के क्लेम खाते/आधार सत्यापन, नेफ्ट बाउंस और बीमित कृषक की मृत्यु जैसे कारणों से लंबित हैं। जिला कलेक्टरों को सत्यापन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए है। फसल कटाई प्रयोगों पर आपत्तियों के कारण 23 फसल पटवार युग्म के मामले राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति में लंबित थे। गत 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से तकनीकी उपज प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही बैठक कर निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सांचौर, जालौर, चूरू, नागौर, बीकानेर और शेरगढ़ क्षेत्रों में भी फसल खराबा कम दर्शाने के मामले सामने आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में पंचायतों का मुख्यालय बदलने सहित 10 जनवरी 2025 की गाइडलाइनों का पालन नहीं करने और 20 नवम्बर 2025 व 28 दिसम्बर 2025 की संशोधित अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश जयसिंह की एसएलपी पर दिए।

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के गत 21 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पंचायतों का मुख्यालय बदलने सहित परिसीमन की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालत की ओर से हस्तक्षेप करने से परहेज करना चाहिए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस स्तर पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दे सकते। एसएलपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने परिसीमन अधिसूचना जारी करते समय वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया। मुख्यालय की दूरी एवं निवासियों को होने वाली असुविधा के संबंध में दर्ज आपत्तियों का भी निस्तारण नहीं किया। ऐसे में ग्राम पंचायत का मुख्यालय बदलना मनमाना है। इसके जवाब में राज्य सरकार के एएसजी केएम नटराज व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार की गई है। राज्य सरकार ने इस दौरान आपत्तियों पर विचार कर उनका निस्तारण भी किया और मंत्रिस्तरीय उप-समिति ने पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिया था कि पुनर्गठन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर, 2025 तक की जाए। इसके पालन में ही 28 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। वहीं जनवरी, 2026 में सभी पंचायती राज संस्थाओं के वार्ड के गठन का काम पूरा किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 फरवरी को करना है और प्रदेश में 15 अप्रेल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। इसलिए एसएलपी खारिज की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया है।

राजस्थान के वैभव, साहित्य और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाएं : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने ली पर्यटन और कला-साहित्य व संस्कृति विभाग की बैठक

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि इस बार राजस्थान दिवस (19 मार्च) को पर्यटन तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भव्य रूप से आयोजित किया जाए। जिसमें राज्य की विभिन्न कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा जयपुर में कला एवं संस्कृति आधारित एक दिवसीय चिंतन शिविर का बड़े स्तर पर आयोजन किया जावे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता, आयुक्त पर्यटन रुक्मणि रियाड़ की उपस्थिति में सोमवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

मुख्य सचिव ने राईजिंग राजस्थान में पर्यटन विभाग के प्रदर्शन की जानकारी ली और राजस्थान पर्यटन को आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान पर्यटन विभाग ने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। सोशल मीडिया पर राजस्थान पर्यटन की विजिबिलिटी अच्छी है। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति बहुत समृद्ध है।

इस राज्य के सांस्कृतिक वैभव और समृद्ध साहित्य और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य की भाषा, साहित्य, कला से सम्बंधित प्रत्येक अकादमी वर्ष में कम से कम एक बड़ा आयोजन करें।

मुख्य सचिव ने अकादमियों द्वारा किताबों के कम प्रकाशन पर नाराजगी जताई और राजस्थान के अच्छे साहित्यकारों की किताबों के प्रकाशन के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान के कम से कम 15 अग्रणी लेखकों की विभिन्न विषय आधारित किताबें प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने रविंद्र मंच और जवाहर कलाकार केन्द्र पर होने वाले आयोजनों की सूचनाओं का समग्र प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदर्शन कलाओं से जुड़े कलाकारों को वृहद स्तर पर मंच उपलब्ध करवा कर उन्हें प्रोत्साहित किया जावे। उन्हें प्रदर्शन के लिए बेहतर अवसर प्रदान किये जावे। उन्होंने विभाग में खाली पदों को प्राथमिकता से भरने तथा पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर पर्यटन और कला-साहित्य व संस्कृति विभाग की समीक्षा की।

- पर्यटक सहायता बल मजबूत करने, पर्यटन थाने खोलने के निर्देश दिए

पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ ने प्रस्तुतिकरण देते हुए अवगत करवाया कि राज्य में पर्यटन नीति 2025 लागू हो गई है। इसी प्रकार नई राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 भी जारी की गई है। राज्य में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट है। इस बार राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उन्होंने अवगत कराया कि पर्यटन विभाग पर्यटन मार्केटिंग सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। घरेलु पर्यटन प्रमोशन के साथ ही विदेशी पर्यटन प्रमोशन को भी लक्षित किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग सोशल मीडिया पर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान पर्यटन का यू-ट्यूब चैनल सम्पूर्ण भारत में चौथे नम्बर पर है।

बैठक में उप शासन सचिव अनुराधा गोगिया, पुरातत्व निदेशक पंकज धरेन्द्र, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरतन शर्मा, राजस्थान राज्य अभिलेखगार बीकानेर के निदेशक चंद्रसेन शेखावत, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सचिव बसंत सिंह सोलंकी, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के निदेशक भूपेंद्र कुमार यादव, जयपुर कत्थक केन्द्र सचिव श्रुति मिश्रा, राजस्थानी भाषा-साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के शरद केवलिया, भारतीय लोक कला मण्डल उदयपुर से टीसी मारवा, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की निदेशक लता श्रीमाली, राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव रजनीश हर्ष, पंजाबी अकादमी के सचिव एन.पी.सिंह, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की सचिव गोमती शर्मा मौजूद थे।